अनुदान संख्या 17 – कोरपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 17–MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	158,00,00	172,49,00	135,91,53	–36,57,47
पूरक	Supplementary	14,49,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				14,61,66
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	45,00,00	75,00,00	69,54,79	–5,45,21
पूरक	Supplementary	30,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (3657.47 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1449.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3657.47 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1449.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 21 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	10318.00	9749.16	7820.79	–1928.37
पू.	S.	301.00			
पु.	R.	–869.84			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	5482.00			
पू.	S.	1148.00	6038.18	5770.74	–267.44
पु.	R.	–591.82			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कारपोरेट कार्य मंत्रालय'' - 10318.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 301.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 10619.00 लाख रु. कर दिया गया । तथापि, 2798.21 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, समिति का पुनर्गठन किए जाने की वजह से गैर-सरकारी संगठन को निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के लिए अनुदान जारी न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3475'' -

(क) ''एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रणालियों का विनियमन - एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली आयोग'' - 341.88 लाख रु. के मूल प्रावधान को 81.68 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 423.56 लाख रु. कर दिया गया । तथापि, 128.09 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आयोग के कार्यकाल के संबंध में अनिश्चितता होने की वजह से रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "3451"-"Secretariat - Ministry of Corporate Affairs"- the original provision of Rs.10318.00 lakhs was augmented to Rs.10619.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.301.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2798.21 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-release of grants to NGO for investors awareness programme owing to reconstitution of committee and economy measures.

(B) Major Head "3475"-

(a) "Regulation of Monopolies and Restrictive Trade Practices - Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission" - the original provision of Rs.341.88 lakhs was augmented to Rs.423.56 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.81.68 lakhs. However, there was a saving of Rs.128.09 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts owing to uncertainty about the tenure of the Commission.

(ख) "संयुक्त स्टाक कम्पनियों का विनियमन - कंपनी अधिनियम के अधीन आधिकारिक परिसमापक" - 1034.07 लाख रु. के मूल प्रावधान को 211.49 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1245.56 लाख रु. कर दिया गया । तथापि, 249.84 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(b) "Regulation of Joint Stock Companies - Official Liquidator under Companies Act"- the original provision of Rs.1034.07 lakhs was augmented to Rs.1245.56 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.211.49 lakhs. However, there was a saving of Rs.249.84 lakhs (including supplementary grant);

(ग) "अन्य व्यय - गंभीर जालसाजी जांच अधिकारी" - 357.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 63.52 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 421.12 लाख रु. कर दिया गया । तथापि, 64.28 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(c) "Other Expenditure - Serious Fraud Investigation Office (SFIO)"- the original provision of Rs.357.60 lakhs was augmented to Rs.421.12 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.63.52 lakhs. However, there was a saving of Rs.64.28 lakhs (including supplementary grant);

(II) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3475"- remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "संयुक्त स्टाक कम्पनियों का विनियमन" -

(A) "Regulation of Joint Stock Companies"-

(क) "कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार" - 2411.88 लाख रु. के मूल प्रावधान को 564.12 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2976.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 279.85 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(a) "Registrar of Companies under Companies Act" - the original provision of Rs.2411.88 lakhs was augmented to Rs.2976.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.564.12 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.279.85 lakhs; and

(ख) "क्षेत्रीय निदेशक" - 672.93 लाख रु. के मूल प्रावधान को 153.28 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 826.21 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 98.83 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Regional Directors" - the original provision of Rs.672.93 lakhs was augmented to Rs.826.21 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.153.28 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.98.83 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards medical reimbursement and economy measures.

(ख) "अन्य व्यय - अन्वेषण और पंजीकरण महानिदेशक" - 115.64 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.54 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 146.18 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण 12.17 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Other Expenditure - Director General of Investigation and Registration"- the original provision of Rs.115.64 lakhs was augmented to Rs.146.18 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.54 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12.17 lakhs - due to receipt of less claims towards medical reimbursement.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (545.21 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 3000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.545.21 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grant of Rs.3000.00 lakhs obtained in October, 2008 and 7 percent of the total sanctioned provision.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	4500.00	7500.00	6954.79	–545.21
पू.	S.	3000.00			

(I) "अन्य व्यय - भूमि/भवन की खरीद/स्टाफ के लिए कार्यालय परिसर/रिहायशी आवास का निर्माण" के अंतर्गत 545.21 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय के लिए भूमि और भवन की खरीद, कार्यालय परिसरों के निर्माण पर कम व्यय किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure-Purchase of land/building/construction of office premises/ residential accommodation for staff"- saving of Rs.545.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to less expenditure on purchase of land and buildings, construction of office premises for various field offices/headquarters.